



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लूट के अभियोग में 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व ₹11,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 722/2009 धारा- 392,120बी भा०द०सं० व 2बी द०प्र०क्षे० एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.प्रेमनारायण उर्फ पीलू सोनी पुत्र सत्तीदीन नि० चरखारी रोड थाना राठ जनपद हमीरपुर व 2. विकाश उर्फ सोनू पुत्र बाबूराम भारती नि० रामनगर थाना उरई जनपद जालौन को दोषसिद्ध करते हुये दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास एवं 11000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-  
एडीजीसी क्रिमिनल  
मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-  
उ०नि० बजरंग बली  
यादव



पैरोकार- थाना राठ  
का० प्रदीप भार्गव